राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ

RAJASTHAN PRATHAMIK AVEM MADHYAMIK SHIKSHAK SANGH

रा.प्रा.एवंमा.शि.सं/बीका/प्रदेश/2018-19

दिनांक13---10---2019-

बहनों / भाईयों शिक्षा विभाग में नव नियुक्ति पर बधाई। आगे नियुक्त होने वालों को अग्रिम बधाई।

आपका दो वर्ष प्रोबेशन काल रहेगा। सफलता से प्रोबेशन पूर्ण करने पर स्थाईकरण (नियमितिकरण) होगा। इसके बाद पद का पूरा वेतन मिलना शुरू होगा।

दो वर्ष प्रोबेशन में लिए गये अवकाश की जांच कर नियमानुसार सही होने पर ही वेतन नियमितिकरण होता है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 30 October 2017 Schedule IV (Rule No 16) पेज 63 पर बिन्दू 1 अनुसार प्रोबेशन में निश्चित मानदेय मिलेगा।

निव नियुक्ति से पहले कोई किसी राजकीय सेवा में स्थाई रहा है, वो प्रोबेशन में पूर्व के पद का वेतन या नव नियुक्त पद का निश्चित मानदेय जो उचित लगे ले सकता है। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV (Rule No 16) पेज 64 पर बिन्दू 6

प्रोबेश्नर ट्रेनी को एक कलैण्डर वर्ष में 15 सीएल मिलेगी। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV (Rule No 16) पेज 63 पर बिन्दू 4

किलैण्डर स्कूलों के लिए जुलाई से जून रहेगा। वित्तीय सलाहकार माध्यिमक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 4 सितम्बर 2019 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में प्रोबेशन पर कार्यरत श्रौक्षिक स्टाफ के लिए सीएल गणना कलैण्डर जुलाई से जून रहेगा। जुलाई के बाद जोईन करने वालों को एक महिने की सवा सीएल मिलेगी। प्रतिमाह सीएल का उपभोग नहीं करने पर जमा होती रहेगी। शिविरा कलैण्डर अनुसार 30 जून को जमा सी.एल लैप्स होगी। फिर एक जुलाई से प्रतिमाह सवा सीएल मिलेगी।

बिन्दू 7 (i) अनुसार प्रोबेशन काल में पीएल और एचपीएल (हाफ पे लीव) अर्न (जमा) नहीं होती है। लेकिन प्रोबेशन से पूर्व की सेवा की पीएल और एचपीएल सेवा पुस्तिका में जमा (बकाया) है। वह राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के शासन उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र प.17(2) शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18+10-12 के तहत खाते में जमा पीएल तथा एचपीएल का उपभोग प्रोबेशन काल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (ii) अनुसार प्रोबेशन काल में महिला को प्रसूति अवकाश देय होगा। प्रसूति अवकाश में पूरा वेतन मिलता है इसलिए प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (iii) प्रोबेशन काल में पुरूष को पितृत्व अवकाश देय होगा। पितृत्व अवकाश में पूरा वैतन मिलता है। इसलिए प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

2 वर्ष प्रोबेशन काल में महिला कार्मिक को चाईल्ड केयर लीव सामान्य परिस्थिति में देय नहीं होगी। यदि विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत की जाती है तो इससे प्रोबेशन आगे सरकेगा। (नोटिफिकेशन F.1(6)FD/Rules/2011 Jaipur Dated 22 MAY 2018)

प्रोबेशन में 90 असाधारण अवकाश (विदाऊट पे) लिए जा सकते हैं। Schedule IV (Rule No 16) बिन्दू 8 (संशोधित नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 25 SEP 2018) लेकिन नोटिफिकेशन F.1 (2)FD/Rules/2006 Pt-I Jaipur Dated 7 AUG 2014 एवं F.1(2)FD/Rules/2006 -I Jaipur Dated 8 AUG 2019 के तहत इसमें से केवल एक माह (30 दिन) तक प्रोबेशन आगे नहीं सरकता है। शेष 60 दिन प्रोबेशन आगे सरकता है। इसी आदेश 08–08–2019 से असाधारण अवकाश में अनेक शर्ते लगाकर एक माह की स्वीकृति नियुक्ति अधिकारी द्वारा और अधिक की प्रशासनिक विभाग द्वारा करने का प्रावधान किया गया है।

नियमानुसार ही अवकाश लेवें तािक 2 वर्ष बाद स्थाईकरण – वेतन नियमितिकरण के समय बाधा नहीं रहे। सुविद्या के लिये शिक्षा विभाग के आदेश संलग्न है। राज्य के वित्त विभाग के आदेश वित्त विभाग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है। इनके प्रिन्ट निकलवाकर स्कूलों और संगठन कार्यालयों में सुरक्षित रखें। सभी को जानकारी देवें।

संगठन से स्नेह बनाये रखें।

(महेन्द्रा पाण्डे) महामन्त्री

आपका विश्वासी

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : य. 17(2)शिक्षा--2/2008

जारापुर, दिनांचा । । छ । ०।। १

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानैर।

> विषय : दिनांक 20.01.2006 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्निक की प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में भाग-दर्शन प्रदान करने बाबत।

संदर्भ । आपका पत्र क्रमांक-शिविरा/गाध्य/संस्था/सी-5/पीएफ /अर्चनाधामाई/ दिनांक 13,07,2012

महोदय,

उपरोक्त दिषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेका में कार्यरत कार्मिक की 'प्रोबेशनरी ट्रेनी' के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में 'वित दिमाम' हारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई है: -

 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम–122–ए के प्रावधानों के अनुसार प्रोवेशनर ट्रेनी परिवीक्षा अविध में अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अदः प्रोवेशनर ट्रेनी, जो पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे, वे भी परिवीक्षा अविध के अवकाश अर्जित नहीं करेंगे।

 नथनियुक्तं प्रोबेशनर ट्रेनी को पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा के वौरान अर्जित एवं शेष अवकाश के उपभोग करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय

सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।

उ. पूर्व सेवा में अर्जित अवकाश का उपमोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परिवैक्षा अविध पर कोई प्रमाद नहीं पड़ेगा।

जक्त राद/टिप्पणी दिव (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201396 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

मबदीय,

शासन उप संचिव-प्रथम

प्रोबेशन में शिक्षकों की CL गणना जुलाई से जून तक

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी—अ/34848/2017 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये थे :--

"राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(ा) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणीं संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calander year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months." आकरिमक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त आदेश को राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकरिमक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जूलाई से 30 जून तक रहेगा ।

विभाग में कार्यरत परीवीक्षाधीन शिक्षको एवं नियमित शिक्षको के लिए वर्ष के सम्बन्ध में राजस्थान सेवानियम—1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट.1 के तत्सम्बन्धी प्रावधान समान रूप से लागू है ।

> वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:शिविरा / माध्य / स्थिरी-अ / 34848 / 2017

दिनांक: 04.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
- 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
- 3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा ।
- 4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
- 5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करनें हेतु ।

वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान

Moinudeeen Ji

511

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक जानकारी के लिए प्रसारित

Schedule IV (Rule No. 16)

AMOUNT OF FIXED REMUNEREATION FOR PROBATIONER-TRAINEE

S.No.	Existing Grade Pay	Existing Grade Pay No.	Existing Amount of Fixed Remuneration	Corresponding Level	Amount of Fixed Remuneration per month with effect from 01.10.2017	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	1700	2	6670	- L-1	12400	
2	1750	3	7000	L-2	12600	
3	1900	4	7400	L-3	12800	
4	2000	5	7790	L-4	13500	
5	2400	9	8910	L-5	14600	
6	2400	_9A _	8910	L-6	15100	
7	2400	9B	8910	L-7	15700	
8	2800	10	11820	L-8	18500	
9	2800	10A	11820	L-9	20100	
10	3600	11	13200	L-10	23700	
11	4200	12	14660	L-11	26500	
12	4800	14	17230	L-12	31100	
13	5400	15	22180	L-14	39300	
14	6000	16	24030	L-15	42500	
15	6600	17	26670	L-16	47200	
16	6800	18	28120	L-17	49700	
17	7200	19	29840	L-18	52800	
18	7600	20	31620	L-19	56000	
19	8200	21	35180	L-20	62300	
20	8700	22	48710	L-21	86200	
21	8900	23	51350	L-22	90800	
22	9500	23A	54120	L-23	102100	
23	10000	24	57820	L-24	104200	

Note:-

- 1. The Probationer-trainee shall be entitled only to fixed remuneration as above and he/she will not be entitled to Special Pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance. City Compensatory Allowance. Non-Practicing Allowance, Non-Clinical Allowance, Mess Allowance, Washing Allowance or any other allowance(s) called by whatever name. Similarly, he/she will not be eligible for grant of Ad-hoc Bonus and uniform/liveries except wearing of uniform is a legal compulsion under the rules.
- 2. No Travelling Allowance shall be admissible for joining as a probationer-trainee. In case journey on duty, he/she shall be allowed T.A. as on tour and in case of transfer only Mileage Allowance on the basis of fixed remuneration shall be admissible. In case of transfer only the actual period required for travel will be treated as on duty.
- No deduction towards General Provident Fund and State Insurance shall be made from the fixed remuneration.
- Probationer-trainee shall be eligible for Casual Leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year, it shall be admissible in proportion on the basis of completed months.
- No Deputation Allowance shall be admissible to a Probationer-trainee, if, deputed to 'Foreign Service" for training etc.



- 6. An existing employee already in regular service shall have an option to opt either for the "Fixed remuneration" or the Pay in the Level in the Pay Matrix (not the Level of his/her new appointment), whichever is beneficial to him/her while he/she is under probation. After successful completion of probation period, Pay shall be fixed as per the rules, where such a Government servant will get due advantage of being in a regular Level earlier, and will get due protection of his/her pay.
- 7. (i) Probationer-trainee shall earn no leave during the period of probation.
 - (ii) Female Probationer-trainee shall be granted Maternity Leave as per Rule 103 and 104 of Rajasthan Service Rules, 1951
 - (iii) Male Probationer- trainee shall be granted Paternity Leave as per Rule 103A of Rajasthan Service Rules, 1951
- Extraordinary Leave upto 30 days may be sanctioned by the appointing authority to a
 Probationer-trainee during the entire period of Probation Training. Beyond 30 days and not
 more than one year by the appointment authority after prior approval of Administrative
 Department.
- Grant of Medical Attendance Allowance Rs 17400/- (including hard duty allowance etc. if any)
 during the probation period in addition to fixed remuneration to newly appointed Medical
 Officer.
- Mediclaim Insurance coverage for the Probationer-trainee during the period of probation shall be applicable, as applicable to Government servants.
- Contribution towards New Pension Scheme (NPS) @ 10% of fixed remuneration shall be made by the Probationer-trainee and employer both.



servant proceed on Child Care Leave without prior approval of the leave sanctioning authority.

- (v) Child Care Leave shall not be granted under any circumstances to a female Government servant, who remains on an unauthorised absence from duty and applies for it thereafter.
- (vi) Leave already availed or being availed of by a female Government servant shall, under no circumstances, be converted into Child Care Leave.
- (vii) Child Care Leave shall not be debited against any other kind of leave account. The leave account of Child Care Leave shall be maintained in the form specified by the State Government, from time to time and it shall be pasted in the service book.
- (viii) Leave sanctioning authority can deny the leave applied for on the ground of proper and smooth functioning of Government work or achievement of departmental targets.
- (ix) It shall not be granted for more than three spells in a calendar year. A spell, which begins during a calendar year and ends in the next calendar year, shall be deemed as a spell pertaining to the calendar year in which the spell begins.
 - It shall ordinarily not be granted to a Probationer trainee during the probation period. However, in special circumstances if the leave is granted during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.
- (xi) The leave is to be treated like the Privilege Leave and sanctioned as such.
- (xii) Sunday and holiday can be prefixed or suffixed to Child Care Leave. Consequently, Sunday, Gazetted holiday(s) or any other holiday(s) notified by the Government falling during the period of leave would also count for Child Care

प्रोबेशन में एक्सट्रा ऑर्डनरी लीव - स्वीकृति अधिकारी

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)

MEMORANDUM

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I

Jaipur, dated: E-8 AUG 2019

Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.

In partial modification of Finance Department Memorandum of even number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

S. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.

Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.

 In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.

 Extraordinary leave shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.

No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.

6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.

 In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

> Secretary to the Government, Finance (Budget)

मित्रों सरकार द्वारा प्रोबेशन में एक्सट्रा ऑर्डनरी लीव स्वीकृति के लिए अधिकारी का स्पष्टीकरण जारी करने के साथ ही लीव स्वीकृति की शर्तों को कठोर कर दिया गया है- महेन्द्र पाण्डे महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ।